

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग

कमांक प 2(2)(52)का/क-3/शिका/2007

जयपुर, दिनांक: 11/7/19

आदेश


डॉ० सेवा सिंह कामरा तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 223/2007 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में लिप्त पाये जाने पर इन्हें इस विभाग के आदेश दिनांक 13.05.08 द्वारा निलंबित किया गया तथा आदेश दिनांक 16.10.08 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई । डॉ० सेवा सिंह कामरा को रिव्यू कमेटी की अभिशंभानुसार आदेश दिनांक 10.02.12 द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया ।

प्रकरण में मा० न्यायालय, सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.09.17 द्वारा डॉ. सेवा सिंह कामरा को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दोषसिद्ध किया गया । डॉ. सेवा सिंह कामरा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप में दोष सिद्ध पाये जाने पर दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्धदण्ड से दंडित किया गया, अर्धदण्ड अदा करने में व्यतिक्रमी होने पर 15 दिवस का कठोर कारावास और भुगतने का दण्ड दिया गया है। मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर डॉ० कामरा को इस विभाग के आदेश दिनांक 14.12.17 द्वारा पुनः निलम्बित किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा डॉ० सेवा सिंह कामरा तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुये सजा एवं अर्धदण्ड दिये जाने के फलस्वरूप राज्य सेवा से पदच्युत (dismissal from service) किये जाने का अनन्तिम निर्णय लिया जाकर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 में विहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 20.12.17 द्वारा प्रकरण सहमति/राय हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भेजा गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उनके पत्र कमांक एफ. 1(70)वि जा/2017-18/13 दिनांक 11.04.19 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दण्ड से सहमत होते हुए डॉ० कामरा को राजकीय सेवा से पदच्युत किये जाने (dismissal from service) की सहमति प्रदान की गई ।


अतः राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय डॉ० सेवा सिंह कामरा तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को राजकीय सेवा से पदच्युत (dismissal from service) किये जाने का एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,  
व उनकी ओर से,

  
(एस.आर. पिलानिया)  
सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि.-

- 1 सचिव, मा० राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 4 अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर को डॉ० सेवा सिंह कामरा तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त आदेश डॉ० कामरा को पंजीकृत डाक से/सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद तत्काल इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- 5 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज० जयपुर।
- 6 सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 7 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर।
- 8 डॉ० सेवा सिंह कामरा तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
- 9 कार्मिक(क-1/गो.प्र)।
- 10 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 11 रक्षित पत्रावली।

  
(एन एल. राव)  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - सीबी/सीएस/एस-668/2019/619

दिनांक : 24/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाच) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2(2)(52)का/क-3/शिका /2007 दिनांक 01/07/2019 के क्रम में।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प 13(16)चिस्वा/2/19 दिनांक 16/07/2019 के क्रम में।
- 3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगगानगर।
- 5 डॉ0 सेवासिंह कामरा, तत्का0 चिअ. राजकीय चिकित्सालय, श्रीकरणपुर जिला चिकित्सालय, श्रीगगानगर हाल निलम्बित मुख्यालय/ श्री टेकचन्द मरेजा द्वारा डॉ0 सेवासिंह कामरा, तत्का0 चि0अ0 (निलम्बित) निवासी- मकान न 3एच 14 जवाहर नगर, जयपुर। (रजिस्टर्ड)
- 6 आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय
- 7 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/डीपीसी/एटीसी अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।